प्रेस विज्ञप्ति

जल विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनाँक 06.03.2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकार(एस0पी0), विशेष कार्याधिकारी(ए), उप महाप्रबन्धक (जल) एवं वरि0 प्रबन्धक, जलखण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं जल बाह्य संस्था के साथ कृत कार्यों की अद्यतन स्थिति/निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक आहुत की गयी। बैठक में विचारोपरान्त वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर पुनः टाईम लाईन के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। विवरण निम्नवत है :–

- नौएडा में स्थापित रैनीवेलों में पानी की उपलब्धता में सुधार हेतु प्रगतिरत अनुबन्ध के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा प्रगति में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में 03 नग रैनीवेलों (सं0–2, 3 एवं 5) हेतु जो निविदाये आमंत्रण की प्रक्रिया में थी उनका इसी माह अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये तथा स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया इसके अतिरिक्त शेष 03 नग रैनीवेलों (सं0–1, 4 एवं 6) हेतु भी निविदा प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कर 31 मार्च 2023 तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में स्मार्ट वाटर मीटर हेतु प्रगतिरत अनुबंध के सापेक्ष स्थापित किये गये वाटर मीटरों (बल्क व घरेलू मीटर) से प्रतिदिन प्राप्त हो रहे जल खपत को कि0ली0 में दर्शाते हुये वर्तमान में जल विभाग द्वारा प्रभावी जल राजस्व प्रक्रिया द्वारा जनित बिल को इन स्मार्ट मीटरों की जल खपत के सापेक्ष गणना कर, तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिन शहरों में वर्तमान में उक्त प्रकार के स्मार्ट मीटर व्यवस्था प्रभावी है उनकी जल राजस्व प्रक्रिया का अध्ययन करते हुये अपनी कार्य योजना शीघ्र तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान में स्थापित किये गये स्मार्ट मीटरों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करते हुये उस डाटा दिनांक 15. 03.2023 तक तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में कोण्डली ड्रेन के अन्तर्गत तैयार हो चुके वेटलैण्ड हेतु Up Stream/Down Stream में आनलाईन मानिटरींग सिस्टम (OLMS) शीघ्र स्थापित करने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये तथा NSEZ वाले निर्माणाधीन In-situ वेटलैण्ड को 20.03.2023 तक पूर्ण करने हेतु एवं सैक्टर–135 में निर्माणाधीन In-situ वेटलैण्ड को एक माह में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- जल विभाग द्वारा नये सैक्टरों 145, 146, 164, 161 व 162 में जल/सीवर के समस्त कार्यों को उपलब्ध भूमि पर सिविल विभाग से समन्वय स्थापित कर अनुबंध के सापेक्ष त्वरित गति से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित जल राजस्व लक्ष्य धनराशि रू0 90.00 करोड़ के सापेक्ष अब तक प्राप्त जल राजस्व धनराशि रू0 113.31 करोड़ की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा IT विभाग को भुगतान की प्रक्रिया हेतु Paytm एवं SMS/Mail Alert हेतु App पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
- जल खण्डों में स्थापित समस्त नलकूपों की क्रियाशीलता एवं उनकी वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु सभी खण्डों को दिनांक 20.03.2023 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- नौएडा क्षेत्र में संचालित सभी पूर्व निर्मित 06 नग सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्टों पर मा0 एन0जी0टी0 के दिशा–निर्देशों के क्रम में TTP हेतु प्रगतिरत निविदा प्रक्रिया को शीघ्र स्वीकृति कराकर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- नौएडा क्षेत्र में संचालित सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्टों से प्राप्त होने वाले शोधित जल का उपयोग पूरी क्षमता पर करने हेतु निर्देशित किया गया एवं प्राधिकरण में कार्यरत सभी विभागों में इस शोधित जल का उपयोग प्रभावी रूप से करने हेतु कार्य योजना तैयार कर एक कार्यालय आदेश जारी कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा भविष्य में इस शोधित जल बिक्री हेतु वर्तमान में प्रभावी दरों को भी पुनरीक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छता

सर्वेक्षण में वाटर प्लस कैटेगरी हेतु इन्दौर शहर में उनके STPs से प्राप्त होने वाले शोधित जल के उपयोग किये जाने वाले प्रबन्धों के सम्बन्ध में अध्ययन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा नौएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे पर विकसित किये जा रहे सैक्टरों में इस शोधित जल की उपयोगिता हेतु कार्य योजना तैयार कर इसको क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया गया।

- नौएडा में वर्तमान में ग्रामों में उपलब्ध जल/सीवर नेटवर्क की क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाले हेतु निर्देशित किया गया तथा ग्रामों में सीवर ओवर–फ्लो की समस्या के निस्तारण हेतु इसकी सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान मे गंगाजल योजना हेतु जल निगम एवं निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहे सभी कार्यों को दिनांक 10.04.2023 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त जलखण्डों में उपलब्ध जलाशय नेटवर्कों हेतु गंगाजल की उपलब्धता हेतु गंगाजल लाईनों की क्रियाशीलता एवं गंगाजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- नौएडा में संचालित 30 ड्रेनों के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सलाहकार NEERI द्वारा प्रस्तुत की गई Feasibility Report का अध्ययन करते हुये उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करते हुये DPR Final करने हेतु समस्त सम्बन्धित विभाग (सिविल, स्वास्थ्य एवं जल) के साथ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0पी0) की अध्यक्षता में एक बैठक शीघ्र आहूत करने हेतु निर्देशित किया गया।